विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(अधिष्ठान अनुभाग)

-: अभ्यर्थियों के लिये प्रारम्भिक परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अनुदेश :-

1. अभ्यर्थी को परीक्षा तिथि से निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट पश्चात् किसी भी दशा में केन्द्र या परीक्षा कक्ष में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नही दिया जायेगा। परीक्षा कक्ष में 30 मिनट पूर्व प्रवेश कर सीटिंग प्लान के अनुसार निर्धारित सीट पर ही बैठना होगा।

2. प्रवेश पत्र में यदि कोई त्रुटि हो तो तत्काल हेल्प लाईन नम्बर–919205310332 और हेल्प लाईन ई–मेल contact@uplegisassemblyrecruitment.in सूचित कर सम्बन्धित त्रुटि का निराकरण कर लें।

3. अभ्यर्थीगण, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके आवेदन पत्र में सूचित अर्हता/पात्रता, विज्ञापन में उल्लेखित अर्हता/पात्रता के अनुरूप होनी चाहिए। बोर्ड द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर आप अनर्ह/अपात्र पाए जायेंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

4. प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर एक फोटो तथा आई0डी0 प्रूफ (निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) की मूल प्रति तथा एक छायाप्रति लेकर आना अनिवार्य है।

5. जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित नही है, अन्य अभ्यर्थी की फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित है, अस्पष्ट है अथवा निर्धारित साइज से छोटी है, तो ऐसे अभ्यर्थी हेल्पलाइन नम्बर–919205310332 एवं ई–मेल contact@uplegisassemblyrecruitment.in के माध्यम से तत्काल सम्पर्क कर सही करवा लें।

6. प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाना सम्भव नही होगा।

7. गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक (Negative Marking):–

- वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक(Negative Marking)प्रदान किया जायेगा।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गए अंकों का एक–चौथाई (1/4) ऋणात्मक अंक (Negative Marking) के रूप में काटा जायेगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्पि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता हैं फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का ऋणात्मक अंक (Negative Marking) प्रदान किया जायेगा।

- यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नही दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक (Negative Marking) प्रदान नहीं किया जायेगा।

8. अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यह सुनिश्चित कर ले कि वह क्षतिग्रस्त, फटी हुयी या त्रुटिपूर्ण प्रश्न–पुस्तिका तो नहीं है, ऐसी स्थिति में कक्ष निरीक्षक से कह कर उचित प्रश्न पुस्तिका अवश्य प्राप्त कर लें।

9. अभ्यर्थी परीक्षा हाल में काला बाल पेन अपने साथ अवश्य लाएं तथा ओ0एम0आर0(OMR Sheet) के आयताकार खानों व गोलों में की जाने वाली समस्त प्रविष्टि काले बाल पेन से ही भरें। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बाल प्वाइन्ट पेन, फाउन्टेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, एच बी, पेन्सिल एवं सफेदा (Whitener) का प्रयोग वर्जित है। एक बार गोला भरे जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नही होगा। उसका न तो मूल्यांकन होगा और न ही उस पर कोई अंक दिया जायेगा।

10. परीक्षा के दौरान ओ0एम0आर0(OMR Sheet) पर मिटाने के लिए इरेजर, नाखून, ब्लेड, सफेद तरल पदार्थ (Whitener) आदि का प्रयोग या किसी अन्य प्रकार की क्षति पहुँचाने पर सख्त निषेध है और उस दशा में ओ0एम0आर0(OMR Sheet) स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा ऐसी ओ0एम0आर0(OMR Sheet) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

11. उत्तर पत्रक ओ0एम0आर0(OMR Sheet) पर अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक, सेन्टर का सही कोड व प्रश्न–पत्र की बुकलेट संख्या व सीरीज स्वच्छतापूर्वक लिखे अन्यथा ओ0एम0आर0(OMR Sheet) का मूल्यांकन नही किया जायेगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

12. अभ्यर्थी को उक्त के अलावा परीक्षा कक्ष में मोबाईल, किताब, कॉपी, कागज, कैलकुलेटर, आदि समान लाना पूर्णतः वर्जित है, अन्यथा उनके विरूद्ध अनुचित साधन प्रयोग करने के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

13. अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका (Test Booklet) के अन्तिम पृष्ठ को रफ शीट के रूप में प्रयोग कर सकते है।

14. अभ्यर्थी परीक्षा प्रारम्भ होने 30 मिनट बाद ही लघुशंका/शौचालय जाने हेतु कक्ष निरीक्षक से आग्रह कर सकते है।

15. अंतिम आधे घंटे में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव